न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 33/2010

वादीगण :-

1. गणेश पुत्र शिवदान
   जाति-मेघवाल, निवासी-मोहराई
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. पेमाराम पुत्र लालाराम
   जाति-चौकिदार,निवासी-
2. शंकरलाल पुत्र गोदपुत्र नवलाराम
   जाति-भांबी(मेघवाल),
   निवासीगण - मोहराई
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.09.04.2010

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 08/06/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-मोहराई, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 520/22 रकबा 0-02 बीघा किस्म गै0मु0बाड़ा, खसरा नम्बर 527/4 रकबा 15-00 बीघा किस्म बा0दो0 एवं खसरा नम्बर 714/105५ रकबा 10-00 बीघा किस्म बा0अ0, कुल किता-3 कुल रकबा 25-02 बीघा की आई हुई हैं। उक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की आराजी वादी की स्वयं की खातेदारी व कब्जा काश्त की है। जिसकी नकल चालू जमांबंदी इस वाद के साथ पेश की है। इस आराजी में से खसरा नम्बर 527/4 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी दोयम के सम्बन्ध में ही विवाद है। प्रतिवादीगण इसी आराजी को आगे वाद में विवादित आराजी के नाम से जाना जायेगा। विवादित आराजी एक मात्र वादी की ही खातेदारी व कब्जा काश्त की है। इस आराजी के पड़ौस में ही उत्तरी तरफ प्रतिवादी संख्या 2 की आराजी थी। प्रतिवादी संख्या 02 ने उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 को बेचान कर दी है। लेकिन विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व हक अधिकार नही रहा है। विवादित आराजी का एक मात्र वादी ही काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 01 बदमाश प्रवृति का व्यक्ति हैं, जो जबरदस्ती वादी की जमीन भी कम कीमतों में खरीदना चाहता है। इसी वजह से प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी पर दबाव बनाने की नियत से वादी के कब्जे व काश्त में हस्तक्षेप व दखलंदाजी करने की कुचेष्ठा की है। प्रतिवादी संख्या 01 बादी की आराजी की माठ तोड़ने का प्रयास कर रहा है। दिनांक 05.04.2010 को प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी से कथन किया कि वह अपनी जमीन मुझे बेच दे, नहीं तो सम्पूर्ण जमीन यूही दबा लेगा व आराजी पर अवैध कब्जा कर लेगा। वादी कानून को मानने वाला व्यक्ति हैं एंव वृद्ध है। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 बदमाश प्रवृति का व्यक्ति हैं, जो जबरदस्ती लाठी लकड़ी के बल पर वादी को इस आराजी से बेदखल करने पर अमादा है। यदि वादी को प्रतिवादी ने जबरदस्ती उसके कब्जा काश्त की

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

आराजी से बेदखलकर दिया या उसके कब्जा काश्त में हस्तक्षेप व दखलन्दाजी की तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी एंव वादी प्रतिवादीगण को ऐसा दुष्कृत्य नही करने देंगे, जिससे मौके पर विवाद होगा। वादी को बार-बार प्रतिवादीगण के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कनी पड़ेगी जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी व विवाद बढेगा। तब इस विषम परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई शेष विकल्प नहीं रहने से यह वाद-पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। बिनायवाद दिनांक 05/04/2010 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उसके कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में से जबरदस्ती बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-मोहराई, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ हैं, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। जबाबदावा पेश नहीं करने से जबाबदावा बन्द किया जा चुका हैं। इस दौरान पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-मोहराई में पेश हुई। शहादत वादी पेश करने का अवसर दिये जाने पर भी पेश नहीं करने से अवसर बन्द किया जाता हैं। मोके पर मजमा-ए-आम पक्षकारान् को समझाईश की गई। पक्षकारान् द्वारा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में यह निवेदन किया कि माफिक दावा डिक्री फरमावें। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश करने पर वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामा के अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-मोहराई, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 520/22 रकबा 0-02 बीघा किस्म गै0मु0बाझ, खसरा नम्बर 527/4 रकबा 15-00 बीघा किस्म बा0दो0 एवं खसरा नम्बर 714/1054 रकबा 10-00 बीघा किस्म बा0अ0, कुल किता-3 कुल रकबा 25-02 बीघा की भूमि में वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 08/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-मोहराई पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :-

1. गणेश पुत्र शिवदान
   जाति-गेघवाल, निवासी-मोहराई
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. पेमाराम पुत्र लालाराम
   जाति-चौकिदार,निवासी-
2. शंकरलाल पुत्र गोदपुत्र नवलाराम
   जाति-भांबी(गेघवाल),
   निवासीगण - मोहराई
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 रा0:33/2010

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा के अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-मोहराई, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 520/22 रकबा 0-02 बीघा किस्म गै0मु0बाड़ा, खसरा नम्बर 527/4 रकबा 15-00 बीघा किस्म बा0दो0 एवं खसरा नम्बर 714/1054 रकबा 10-00 बीघा किस्म बा0अ0, कुल किता-3 कुल रकबा 25-02 बीघा की भूमि में वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेखा भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	-00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
	04	-00			

मिजानः- मिजानः-

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner